

## आदेश

तिथि  
Oct 11 2018

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा विशुनपूर थाना झरिया

खाता	प्लॉट	रकबा
118	862	0 एकड़, 3.3 डिसमील, 0 हेक्टर
118	862	0 एकड़, 1.65 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
चंदा देवी अन्य	पति	स्व चन्द्र मोहन सिंह

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 3393 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदरियत

रियत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
चन्द्रमोहन सिंह वो छोटीलालसिंह	पिता	हरि सिंह
राम कुमार सिंह वो शिव कुमार सिंह वो कुवंर सिंह	पिता	अमीन सिंह
बदरी सिंह वो चारू सिंह	पिता	अमीन सिंह
बदरी सिंह वो चारू सिंह वो लाल मोहन सिंह वो फूल चन्द्र सिंह	पिता	जगेश्वर सिंह
पुतुल देवी	पति	शांति सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजसब कर्मचारी के प्रतिवेदन एबम अंचल निरीक्षक के अनुसार दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत हेतु अनुसंसा किया गया है अंत दाखिल खारिज आबेदन को स्वीकृत किया जाता है

अतः वार्षिक लगान **3रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :  
PRAKASH KUMAR  
अंचलाधिकारी धनबाद